



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)


दिनांक : 07.08.2015

भारतीय एवं विदेशी भाषा अध्ययन केंद्र, भाषा विद्यापीठ

प्रवेश सूचना संबंधी शुद्धिपत्र

दिनांक 16/07/2015 को जारी प्रवेश सूचियों द्वारा प्रवेशित विद्यार्थियों की चयनित श्रेणी निम्नलिखित पढ़ी जाए

1. जापानी भाषा में क्रम सं. 15 की चयनित श्रेणी एस.सी. पढ़ी जाए।
2. उर्दू भाषा में क्रम सं. 09 की चयनित श्रेणी एस.सी. पढ़ी जाए।
3. मराठी भाषा में क्रम सं. 03 की चयनित श्रेणी एस.सी. पढ़ी जाए।



(प्रो. हनुमानप्रसाद शुक्ल)

निदेशक

प्रतिलिपि :

1. परीक्षा विभाग
2. संयुक्त कुलसचिव (अकादमिक)
3. लीला (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
4. सूचना पट्ट, भाषा विद्यापीठ